संख्या–५१ VI-I/2005

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
देहरादून।

युवा कल्याण अनुभाग : देहरादून : दिनांक 11 मई, 2005

विषय:–वित्तीय वर्ष 2005–06 में युवा कल्याण परिषद् हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–527A/XXVII(I)/2005, दिनांक 26 अप्रैल, 2005 एवं युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल निदेशालय के पत्र संख्या–70/दो–1097/2005–06, दिनांक 27 अप्रैल, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि युवा कल्याण विभाग के अन्तर्गत युवा कल्याण परिषद् के व्यय हेतु अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2005–06 में व्यवस्थित रू0 15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि को आहरित कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त स्वीकृत इस शर्त के अधीन है कि इसका आहरण आवश्यकता अनुसार ही व्यय किया जाय।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। उपकरणों का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों पर किया जायेगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेंडर (कोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

3– धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजें।

4– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय व्ययक अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–00–आयोजनेत्तर–001–निदेशन तथा प्रशासन–05–युवा कल्याण परिषद् को अनुदान–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता नामक मदों के नामे डाला जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के उपरान्त दिनांक 31–03–2006 तक इसका मदवार विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

6– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या–156/वित्त अनुभाग–2/2005, दिनांक, 09 मई 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी की जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

पृ न संख्या– VI-I/2005, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी,उत्तरांचल, देहरादून।
2– अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
5– एन0आई0सी0, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।